न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प देवतरा, तहसील सुमेरपुर
पीठासीन अधिकारीः– श्री विनोद कुमार गल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 58/2017
दायर तिथि– 10.08.2017
तारीख फैसला– 30.05.2018

वादीगणः–1.पुखराज पुत्र गजारामजी, उम्र बालिग
2.सकाराम पुत्र गजारामजी, उम्र बालिग
3.दीपाराम पुत्र गजारामजी, उम्र बालिग
4.मूलाराम पुत्र गजारामजी, उम्र बालिग
5.खेतीबाई पुत्री गजारामजी, उम्र बालिग
6.छोगीबाई पुत्री गजारामजी, उम्र बालिग
7.देवीबाई पुत्री गजारामजी, उम्र बालिग
8.बदुबाई पुत्री गजारामजी, उम्र बालिग
9.रूपाराम पुत्र नगारामजी,उम्र बालिग
10.बाबुलाल पुत्र हीरारामजी, उम्र बालिग
11.पनालाल पुत्र हीरारामजी, उम्र बालिग
12.ईदाराम पुत्र हीरारामजी, उम्र बालिग
13.पुनाराम पुत्र हीरारामजी, उम्र बालिग
14.कंकूदेवी पुत्री हीरारामजी, उम्र बालिग,
जातिगण जणवा सिरवी, निवासीगण देवतरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली(राजस्थान)

ब ना म

प्रतिवादीगणः–
1.आशाभाई पुत्र पुंजाभाई उम्र बालिग, जाति पटेल, निवासी थूरावास, तहसील ईडर, जिला साबरकाठा (गुजरात)
2.श्रीमान् भूमिधारी–तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली(राजस्थान)

::– वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट, 1955–::
–:निर्णयः–

(1) वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अनुसार वादीगण के स्वामित्व की कृषि भूमि सरहद मौजा देवतरा पटवार हल्का देवतरा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि वर्तमान खसरा नं. 206 रकबा 19.34 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम आई हुई स्थित है। जिसके सेटलमेंट पूर्व खसरा नं. 112/मी रकबा 100 बीघा किस्म बारानी प्रथम रहे हैं। उपरोक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व खातेदार वादीगण के पूर्व नगा पुत्र पीथा के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सवंत् 2018 से 2021 में दर्ज रही है। तथा जमाबंदी संवत 2026 से 2029 के इन्द्राज अनुसार नगाजी के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि उनके वारिसान हीरा, गजीया, रूपा पुत्रगण गजाजी के नाम से दर्ज रही है।
(2) उपरोक्त भूमि वादीगण को विरासत से प्राप्त हुई हैं लेकिन सेटलमेंट के कर्मचारियों द्वारा मिलान क्षैत्रफल अनुसार पुराने खसरा नं. 112/मी रकबा 100 बीघा से हाल नये खसरा नं. दर्ज करते समय वादीगण की खातेदारी भूमि में वादीगण के साथ साथ प्रतिवादी सं. एक का नाम बिना किसी आधार के दर्ज कर दिया गया। जबकी उपरोक्त खातेदारी भूमि में प्रतिवादी सं. एक का कोई हक अधिकार व कब्जा नहीं रहा है। उपरोक्त भूमि वर्तमान में वादीगण के संयुक्त कब्जे खातेदारी की हैं। सबूत में वर्तमान जमाबंदी संवतृ 2072–2075, मिलान क्षैत्रफल गत जमाबंदी संवत् 2018 से 2021, 2026 से 2029 वाद पत्र के साथ पेश है। जिस भूमि पर प्रतिवादगण सं. एक का कोई हक व

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

कब्जा काश्त नहीं है। सेटलमेंट कर्मचारियों ने सरासर गलत रूप से राजस्व ईन्द्राज दर्ज किया गया है।

(3) सरहद मौजा देवतरा के खसरा नं. 206 रकबा 19.34 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम जिसके पुराने खसरा नं. 112/मी रकबा 100 बीघा भूमि में दर्ज प्रतिवादी सं. एक का नाम हटाया जाना राजस्व रेकर्ड अनुसार उचित हैं तथा प्रतिवादी सं. एक का राजस्व रेकर्ड का कोई हिस्सा नहीं बनता है। सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादी सं एक का नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में वादीगणों के साथ गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है। जिससे उपरोक्त वाद खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का उचित प्रतित होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजों एव हल्का पटवारी देवतरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर परिणामतः वादीगण का वाद खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा देवतरा के हाल खसरा नं 206 रकबा 19.34 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम में दर्ज प्रतिवादी सं. एक की खातेदारी रेकर्ड दूरूस्ती करते हुए खातेदारी समाप्त कर वादीगणों के हक में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **30.05.2018** को राजस्व लोक अदालत केम्प देवतरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner